

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

[० 299] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 30, 1969/भाद्र 8, 1891

No. 299] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 30, 1969/BHADRA 8, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August 1969

S.O. 3479.—In pursuance of the provisions of section 12 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the following declaration containing the name of the person elected to the office of Vice-President of India is published for general information:—

“DECLARATION

In pursuance of the provision contained in section 11 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), read with rule 32 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1952, I, B. N. Banerjee, the Returning Officer for the Vice-Presidential Election, hereby declare that Shri G. S. Pathak, 16/19 Thornhill Road, Allahabad has been duly elected to the office of Vice-President of India.

NEW DELHI,
August 30, 1969.

B. N. BANERJEE,
Returning Officer, for the Vice-Presidential Election.”

[No. F.13(6)/69-Leg.II.]

N. D. P. NAMBOODIRIPAD. Jt. Secy.

विधि मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1969.

सां० आ० 3480—राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 12 के उपबन्धों के अनुसरण में निम्नलिखित घोषणा, जिसमें भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिये निर्वाचित उम्मीदवार का नाम दिया गया है, लोक साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है :—

“घोषणा

राष्ट्रपतीय तथा उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1952 के नियम 32 के साथ पठित, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 11 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं, बी० एन० बनर्जी, उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिये रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि श्री जी० एस० पाठक, 16/19, थार्नहिल रोड, इलाहाबाद को भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिये विधिवत निर्वाचित कर लिया गया है ।

नई दिल्ली,

अगस्त 30 1969 ।

बी० एन० बनर्जी,

उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिये रिटर्निंग आफिसर” ।

[सं० फा० 13(6)/69-वि०-II.]

एन० डी० पी० नम्बूदिरिपाद, संयुक्त सचिव ।